


दिनांक

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहमदाबाद जो इस
मुद्दा की समीक्षा
में जारी हुए

14.05.26 परावली पैरा इ इ। प्राथमिक अधिकार
 उपस्थित। उल्लेख 42/2023 मुल का
 खारिज होने से इस प्राथमिक पर मे इपकेटी
 का बोर्ड ओचित्य नहीं रहता। अतः प्राथमिक
 का प्राथमिक पर अन्तर्नि धारा 212 रास
 खारिज किया जाता है परावली फ़ैसल सुमाद
 होउद नम्बर से उम हो कदतर हरिफ स हो।


 14/5/26

उपखण्ड अधिकारी
 भीलवाड़ा